

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.12/2023-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2023

सा. का. नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 16-सीमाशुल्क, तारीख 25 जनवरी, 1965, संख्यांक सा.का.नि. 126(अ) तारीख 25 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु यह भी कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।”।
2.	अधिसूचना सं. 89-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970, संख्यांक सा.का.नि. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
3.	अधिसूचना सं. 46-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974, संख्यांक सा.का.नि. 503(अ), तारीख 25 मई,	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।

	1974 द्वारा प्रकाशित ।	
4.	अधिसूचना सं. 284-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976, संख्यांक सा.का.नि. 617(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
5.	अधिसूचना सं. 207/89-सीमाशुल्क, तारीख 17 जुलाई, 1989, संख्यांक सा.का.नि. 702(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, पहले परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।”।
6.	अधिसूचना सं. 134/94-सीमाशुल्क, तारीख 22 जून, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 525(अ), तारीख 22 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
7.	अधिसूचना सं. 147/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में :- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
8.	अधिसूचना सं. 148/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 577(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
9.	अधिसूचना सं. 151/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 580(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
10.	अधिसूचना सं. 152/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 581(अ), तारीख 13 जुलाई,	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।

	1994 द्वारा प्रकाशित ।	
11.	अधिसूचना सं. 153/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
12.	अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में:- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
13.	अधिसूचना सं. 50/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के पश्चात्:- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।”।
14.	अधिसूचना सं. 51/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 303(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।”।
15.	अधिसूचना सं. 25/98-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998, संख्यांक सा.का.नि. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
16.	अधिसूचना सं. 97/99-सीमाशुल्क, तारीख 21 जुलाई, 1999, संख्यांक सा.का.नि. 727(अ), तारीख 21 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
17.	अधिसूचना सं. 113/2003-सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2003, संख्यांक सा.का.नि.	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।

	572(अ), तारीख 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित ।	
18.	अधिसूचना सं. 30/2004-सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004, संख्यांक सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के पश्चात् :- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) निम्नलिखित परन्तुक को रखा जाएगा, अर्थात्:- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।”।
19.	अधिसूचना सं. 45/2005-सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 2005, संख्यांक सा.का.नि. 318(अ), तारीख 16 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, पहले परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।”।
20.	अधिसूचना सं. 81/2005-सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005, संख्यांक सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात् :- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
21.	अधिसूचना सं. 102/2007-सीमाशुल्क, तारीख 14 सितंबर, 2007, संख्यांक सा.का.नि. 598(अ), तारीख 14 सितंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “4. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
22.	अधिसूचना सं. 26/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, संख्यांक सा.का.नि. 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् और उपाबंध से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
23.	अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016, संख्यांक सा.का.नि. 217(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
24.	अधिसूचना सं. 05/2017-	उक्त अधिसूचना में :-

	सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	(i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
25.	अधिसूचना सं. 16/2017-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 394(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् :- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
26.	अधिसूचना सं. 29/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 764(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
27.	अधिसूचना सं. 30/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 765(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
28.	अधिसूचना सं. 32/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, (i) सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (3) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
29.	अधिसूचना सं. 37/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “4. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
30.	अधिसूचना सं. 48/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 783(अ), तारीख 30 जून,	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।

	2017 द्वारा प्रकाशित ।	
31.	अधिसूचना सं. 49/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 784(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “4. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।
32.	अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. क्रम संख्यांक 6, क्रम संख्यांक 8 और क्रम संख्यांक 10 क्रम संख्यांक के सामने प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव

टिप्पण: 1. मूल अधिसूचना सं.-16-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 1965, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 779(अ) 23 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

2. मूल अधिसूचना सं.-80-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 44/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 779(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

3. मूल अधिसूचना सं.-46-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 503(अ), तारीख 25 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 43/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 778(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

4. मूल अधिसूचना सं.-248-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. सं. 617(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

29. मूल अधिसूचना सं.-37/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 6/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 80(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
30. मूल अधिसूचना सं.-48/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 783(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
31. मूल अधिसूचना सं.-49/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 784(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
32. मूल अधिसूचना सं.-52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 6/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 80(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।